संख्या-57/2018/2340/22-2-2017-17(621)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 17 जनवरी, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बुद्धू पासी पुत्र श्री कन्हई, निवासी जनपद-रायबरेली की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-32403/प्रोबेशन-3(एम-22.06.2017) दिनांक 07.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 07.09.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी बुद्धू पासी पुत्र श्री कन्हई, निवासी ग्राम-पूरे रिशाल (मजरे कुसमौरा), थाना-महराजगंज, जनपद-रायबरेली का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 18.07.2002 की रात्रि लगभग 08.00 बजे अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कृष्ण कुमार को जान से मारने की नीयत से मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिससे कृष्ण कुमार बुरी तरह से जल गया और उपचार के दौरान दिनांक 19.07.2002 को उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-253/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-4, जिला रायबरेली के आदेश दिनांक 24.03.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.06.2017 तक 14 वर्ष 10 माह 12 दिन की अपरिहार एवं 18 वर्ष 07 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु-62 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 18.07.2002 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कृष्ण कुमार को जान से मारने की नीयत से मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु-62 वर्ष लगभग है। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बुद्धू पासी पुत्र श्री कन्हई को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बुद्धू पासी (बन्दी संख्या-4206/2006) पुत्र श्री कन्हई, निवासी जनपद-रायबरेली के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-57/2018/2340(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-रायबरेली।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कागारार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-57/2018/2340@22-2-2017-17(621)/2017

दिनांक 17 जनवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध बन्दी बुद्धू पासी (बन्दी संख्या-4206/2006) पुत्र श्री कन्हई, निवासी ग्राम-पूरे रिशाल (मजरे कुसमौरा), थाना-महराजगंज, जनपद-रायबरेली का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 18.07.2002 की रात्रि लगभग 08.00 बजे अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कृष्ण कुमार को जान से मारने की नीयत से मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिससे कृष्ण कुमार बुरी तरह से जल गया और उपचार के दौरान दिनांक 19.07.2002 को उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-253/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-4, जिला रायबरेली के आदेश दिनांक 24.03.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.06.2017 तक 14 वर्ष 10 माह 12 दिन की अपरिहार एवं 18 वर्ष 07 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु-62 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 18.07.2002 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कृष्ण कुमार को जान से मारने की नीयत से मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु-62 वर्ष लगभग है। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बुद्धू पासी पुत्र श्री कन्हई को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in